कार्यालय, प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय/ चिकित्सालय
(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड़, मैनिट के पीछे, भोपाल)
Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com Ph. 0755-2970354

क्र./स्था./2024/ 3858 भोपाल, दिनांक : 7/08/24

:: विज्ञापन ::

:: विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों हेतु रिक्त पदों की पूर्ति ::

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/ एफ 8–2/2013/आ0प्र0/एक, दिनांक 04/01/2024 एवं संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/ एफ–252/2024/4–स्थापना/2294–2302, दिनांक 22.07.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति, विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर, अपने समस्त मूल अभिलेख /प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार तिथियों में उपस्थित हो सकते है। रिक्त पदों का विवरण वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र0	पद का नाम	श्रेणी	रिक्त पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	वेतनमान	साक्षात्कार तिथि	रिमार्क
01	स्टाफ नर्स	तृतीय	01–LD	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. नर्सिग/ जी0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण। संबंधित बोर्ड में रजिस्टीकरण।	28700–91300 लेवल–7	03.09.2024	दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलागता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।
02	वार्डवॉय	चतुर्थ	01–LD	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	15500–49000 लेवल–1	03.09.2024	–तदैव–
03	भृत्य	चतुर्थ	01–VH	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	15500–49000 लेवल–1	03.09.2024	–तदैव–

- LD- लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रेल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी
- VH- दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि।
- रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनशील है।

2/ उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों (तृतीय श्रेणी के स्टाफ नर्स पद हेतु दिनांक 03.09.2024 तथा चतुर्थ श्रेणी के पद वार्डवॉय एवं भृत्य हेतु दिनांक 03.09.2024 को समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक हकीम सै0 ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में संपन्न होगा।

3/ **अन्य आवश्यक शर्ते** –

1– अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता अनुसार 01 से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
2– उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
3– अभ्यर्थी का गृह जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का जीवित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
4– नियुक्ति के पश्चात् निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा। जांच में निःशक्तता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकत 45 वर्ष होना चाहिऐ।
6– तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों के लिये अभ्यर्थियों का म0प्र0 राज्य क़े रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
7– पूर्व से सेवारत/अन्य विभाग में कार्यत कर्मचारी, नियोक्ता के अनुमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम से ही साक्षात्कार में उपस्थित हो सकेंगे।
8– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण–पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना है। समस्त मूल प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 02 सेट छायाप्रतियॉं आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

Add_2023

CamScanner

कार्यालय, प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैयुयद ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय/ चिकित्सालय
(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड़, मैनिट के पीछे, भोपाल)
Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com Ph. 0755-2970354

9– आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार के 04 नवीनतम रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें 01 फोटो आवेरन पर लगाना होगा।

10– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है –
- शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेख।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं ई0डब्ल्यू0एस0)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म0प्र0 राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
- जन्मतिथि के सत्यापन हेतु वैध प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता /विकलांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (निःशक्तता 40 प्रतिशत (मैट्रिक्स) अथवा अधिक होने पर ही स्थाई निःशक्तता प्रमाण–पत्र मान्य किया जायेगा।
- पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म (02 प्रतियों में)

11– अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

12– यदि अभ्यर्थी की 02 से अधिक जीवित संतान है एवं उनमें से 01 संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तब ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

13– उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति स्वशासी संस्था के नियमों के अंतर्गत शासित होगी। चयनोपरान्त नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रधानाचार्य, हकीम सै0 जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।

14– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03/07/2018 के जारी निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी किये गए नियम/निर्देशों के अनुरूप चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी, हकीम सै0 जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा की जावेगी।

15– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/पत्रों के असत्य/नकली/कूटरचित पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

16– विज्ञापित पद पर चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3–13/2019/3/एक, दिनांक 12/12/2019 द्वारा परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

17– संबंधित अभ्यर्थी को वॉक–इन–इंटरव्यू में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

MBegu

(डॉ0 मेहमूदा बेगम)
प्र0प्रधानाचार्य/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय/स्वशासी
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल